छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927

क्रमांक : 03 / रेरा / 2018 /

रायपुर, दिनांक 12 / 04 / 2018

/ / प्रेस–विज्ञप्ति / /

एजेंट्स रजिस्ट्रेशन हेतु रेरा ने जारी की एस.ओ.पी.

बिना रजिस्ट्रेशन कार्य करने वाले एजेंट्स पर होगी कार्यवाही

रेरा अधिनियम लागू होने के उपरांत रियल एस्टेट के सभी प्रोजेक्ट्स के साथ–साथ रियल एस्टेट का व्यवसाय करने वाले सभी एजेंट्स (ब्रोकर) आदि को भी रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन प्रावधानों के पीछे मंशा यह है कि एजेंट्स के माध्यम से भी संपत्ति क्रय करने पर क्रेता के हितों की सुरक्षा हो। छत्तीसगढ़ रेरा ने गठन के तुरंत बाद फरवरी 2018 से ही रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिया है, और इस हेतु प्राप्त सभी 68 आवेदनों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ रेरा ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने हेतु कड़ाई प्रारंभ का दी है, तथा रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले सभी एजेंट्स को रेरा के अंतर्गत शीघ्रातिशीघ्र रजिस्ट्रेशन कराने निर्देशित किया है।

रियल एस्टेट एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु एजेंट्स की सुविधा की दृष्टि से रेरा ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें एजेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरलता से वर्णित किया गया है। इससे रियल एस्टेट एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझने में काफी आसानी होगी। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की तरह रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्ट्रेशन हेतु भी रेरा के वेबपोर्टल **https://rera.cgstate.gov.in/** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन संबंधी परिपत्र व निर्देशों के साथ आवेदन–पत्र व संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट व संबंधित प्रारूप, रेरा के वेबपोर्टल पर उपलब्ध हैं। अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु 30 दिन की समय–सीमा नियत है, किन्तु छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा तत्काल रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किये जा रहे हैं। आवेदकों की सुविधा के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर एस.एम.एस. के माध्यम से व प्रमाण–पत्र ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ रेरा ने एजेंट रजिस्ट्रेशन के संबंध में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु हेल्पलाईन नंबर 7805075856 भी जारी किया है। **बिना रजिस्ट्रेशन कार्य कर रहे एजेंट्स की जानकारी मेल आई.डी. registrar.rera.cg@gov.in पर रेरा को उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसी सूचनाएँ देने वाले का नाम गोपनीय रखा जावेगा।** रेरा ने जारी SOP में स्पष्ट किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कार्य करने वाले एजेंट्स पर उल्लंघन के प्रत्येक दिन हेतु दस हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

रेरा ने प्रमोटर्स हेतु भी बाध्यता आरोपित की है कि वे पंजीकृत एजेंट्स के माध्यम से ही संव्यवहार करें। साथ ही क्रेताओं से भी अपील की है कि वे किसी भी अपंजीकृत एजेंट के माध्यम से संव्यवहार न करें। रेरा अंतर्गत रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स की जानकारी रेरा के वेबपोर्टल पर रिपोर्ट मेन्यू में उपलब्ध है, जहाँ से क्रेता रजिस्टर्ड एजेंट्स के विवरण का अवलोकन कर सकते हैं।

12/04/18.
रजिस्ट्रार
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर